<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 17/2018 **दायर दिनांकः 04.05.2018**

उनवान

1. गोबरीलाल आयु 31 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
2. कंवरीबाई आयु 61 वर्ष पुत्री प्रभूलाल पत्नी घांसीलाल जाति काछी निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।
3. गीताबाई आयु 51 वर्ष पुत्री प्रभूलाल पत्नी ताराचन्द जाति काछी निवासी गोरधनपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान।
4. मोहनीबाई आयु 49 वर्ष पुत्री प्रभूलाल पत्नी महादेव जाति काछी निवासी गुडानाथावत तहसील बुन्दी जिला बून्दी राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति :—

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री आर0 पी0 गोयल।

निर्णय

दिनांक 07.01.2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है, कि आराजी खसरा नम्बर— 66 रकबा 1 बीघा 02 हेक्टर बारानी लगानी 9.18 रूपये माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बाराँ राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबन्दी संख्या 361 सम्वत् 2068—72 प्रार्थीगण के खातेदार के दर्ज है, जो कब्जे काश्त भी चली आ रही है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर—1 में वर्णित आराजी के काश्त मेडबन्दी हदबन्दी इत्यादि को लेकर पडौसी काश्तकारान में आये दिन विवाद बना रहता है जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी की समुचित काश्त नहीं कर पाता तथा हदबन्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है, प्रार्थीगण को मानसिक अशान्ती बनी रहती है, इस संबंध में प्रार्थीगण के हिस्से अपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान हदबन्दी एवं मेडबन्दी एवं मुड्डी गडवाना चाहते है, ताकि पडौसी काश्तकारान में हमेशा का विवाद समाप्त हो जावे। प्रार्थीगण ने इस बाबत तहसीलदार साहब अटरू अप्रार्थी से भी निवेदन किया था, लेकिन उन्होने पत्थरगढी, हदबन्दी से मना कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:09 IST
Reason: SelfAttested

केवल साधारण सीमाज्ञान की बात कही इसी कारण दिनांक 2—4—2018 को कार्यवाही पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण पडौसी खातेदारान द्वारा जमीन की हदबन्दी मेडबन्दी से मना कर देने से अन्तिम बार दिनांक 2—4—2018 को तहसीलदार साहब द्वारा पत्थरगढी, मुड्डियॉ गाडने से मना करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ। विवादित आराजीयात माल मोठपुर तहसील अटरू में वाके है तथा आराजी को लेकर विवाद भी माल मोठपुर में उत्पन्न हुआ लिहाजा प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि श्रीमान अधीनस्थ राजस्व अधिकारी व कर्मचारी की टीम बनाकर प्रार्थनापत्र के मद नम्बर—1 में वर्णित आराजी का सीमाज्ञान कर मौके पर पत्थरगढी, हदबन्दी करवाये जाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुआ और न ही कोई जवाब पेश नही किया। अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की जमाबन्दी खाता संख्या 361 ख0नं0 662 रकबा 1.02 है0 अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 361 ख0नं0 662 रकबा 1.02 है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 361 की ख0नं0 662 रकबा 1.02 है0 भूमि का टीम बनाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में विद्यमान वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जावें। पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्थरगढ़ी का खर्चा प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:09 IST
Reason: SelfAttested